



अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड  
(वाणिज्य शाखा)

क्र./अ.वि.वि.नि.लि./मु.अ. (मुख्यालय)/अधी.अ.(वाणिज्य)/अ.अ.-II/2016-17/प्रे

4530

दि:

11-11-17

आदेश

विषय:- निवेशको से उद्यम स्थापना पूर्व का पंजीयन/उद्यमिता ज्ञापन/उद्योग आधार मेमोरेण्डम की मांग नही करने बाबत।

प्रमुख शासन सचिव (सूक्ष्म लघु, मध्यम उद्यम विभाग), राजस्थान सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 15(1)/ई.एम. सैल/यू.ए.एम.-गाइड लाइन/2015-16 दिनांक 24.11.2016 के अनुसार उद्योग स्थापना से पूर्व उद्योग विभाग से पंजीयन या उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

सूक्ष्म लघु, मध्यम उद्यम विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना में निगम द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तर के उद्यमों से विद्युत कनेक्शन के सम्बन्ध में उद्योग विभाग के अस्थाई पंजीयन/उद्यमिता ज्ञापन भाग-1 या उद्योग आधार मेमोरेण्डम की अनिवार्यता नही है।

आज्ञा से

(एन. एल. सालवी)

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)  
अविविनि.लि, अजमेर